

21.5.2025 वृद्धार फरिडौन उपखिला | अर्जाधी सं. 1 ता 5  
 वापस विधिवत माहिती दिली आहे आणि नवी  
 इसलिये अने विवाह अर्जांची एकत्रित अर्जात में  
 ली जाती हैं। वकील जमीनगण ह्या एअर अर्जा  
 नंबर 07-22 का जखब कंडे तिया जात अर्जा का खीर  
 करे हए अर्जाधी सं. 6 का नाम अर्जा फल से  
 कलमजम तिये जाने का खिदेअडिया जावा है।  
 अर्जाधी सं. 7 ता 12 के जखब हेतु समय नाह  
 जो मासिक में दलिय बतमा पर तिया जात  
 है। फावली अर्जा तफ 17.6.2025 की पत्र हो।

17.6.2025  
 1 कुलाप कंडेकन वापसत/PU माह अर्जा  
 में खाल है। फावली अर्जा  
 नंबर 07-22 का जखब तिया 17.6.2025  
 का पत्र है

13.8.2025 1 कुलाप कंडेकन वापसत/PU माह अर्जा  
 में खाल है। फावली अर्जा  
 नंबर 07-22 का जखब तिया 13.10.2025  
 का पत्र है

13.10.2025 वकील जमीनगण उपखिला | वकील अर्जाधी सं.  
 एवं अर्जाधी सं. 7 ता 12 खम उपखिला नहीं। आवक अर्जा  
 गई फिर भी उपखिला नहीं। अने की खरत में अर्जाधी सं.  
 7 ता 12 के विवाह अर्जाधी एकत्रित अर्जात में ली जाती  
 हैं। वकील जमीनगण की वस्तु सुनी गई फावली का  
 अर्जातमन-तिया जमा। फावली व उपखिला रिकार्ड  
 के बाधा पर अर्जा तिये जात उस काम की नाही की  
 जाती हैं कि अर्जाधी अर्जा फल में कर्तव्य व 9 एव  
 के बाता सं. 11/71 की 4.048 हेतु भूमि के रिकार्ड व मौका  
 की यथासिद्ध कामे रखे व रहग केंद्र करने से निषेध  
 रहे। फावली नंबर से काम की जात दायित  
 करत है।

सहायक कमिश्नर एड  
 उपखण्ड अधिकारी  
 एतस

